



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1564]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 22, 2016/आषाढ़ 1, 1938

No. 1564]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 22, 2016/ASADHA 1, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2016

का.आ. 2181(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, जिन्हें सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था और जिन्हें सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010 एवं सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011 द्वारा संशोधित किया गया था, के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना का.आ. 2738 (अ), तारीख 21.10.2014 द्वारा मैसर्स काशीपुर-सितारगंज हाइवेज प्राइवेट लिमिटेड को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 पर 175.000 कि.मी. से 252.200 कि.मी. (विद्यमान चैनेज 256.900) तक काशीपुर-सितारगंज सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) का राराविप-IV के अधीन डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर चार लेन में विकास करने एवं उक्त खण्ड के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु, शुल्क को संग्रहीत एवं प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत किया था;

अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, जिसे सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010 तथा सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011 द्वारा संशोधित किया गया था, के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा का.आ. अधिसूचना का.आ. 2738 (अ), तारीख 21.10.2014 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है:

टिप्पणियों के पैरा 1 और 2 के अधीन सारणी में टोल प्लाजा के अवस्थान (चैनेज) को निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा:

विद्यमान के स्थान पर	निम्नलिखित प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा
उद्यम सिंह नगर जिले में गांव देवरिया के पास रारा-74 पर 222.500 कि.मी. पर (विद्यमान 22.350 कि.मी.)	उद्यम सिंह नगर जिले में गांव देवरिया के पास रारा-74 पर 222.270 कि.मी. पर (विद्यमान 222.120 कि.मी.)

[फा.सं. भाराराप्रा/13-14/सीओ/जीसी (काशीपुर-सितारगंज)]

लीना नंदन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd June, 2016

S.O. 2181(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010 & G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, the Central Government, vide notification S.O. 2738(E) dated 21.10.2014, authorized M/s. Kashipur-Sitarganj Highways Pvt. Ltd. to collect and retain the fee for the development of Kashipur-Sitarganj section from km 175.000 to km 252.200 (existing ch. 256.900) on National Highway No. 74 (hereinafter referred to as the “said section”) to four lane standards and operation and maintenance of the said section on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis under NHDP-IV;

Now, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010 & G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification published vide S.O. 2738(E) dated 21.10.2014:-

The location of Toll Plaza (chainage) in the Table under para 1 & 2 of notes shall be read as follows:

In place of existing	Shall be substituted as
At km. 222.500 (existing km 222.350) on NH-74 near village Deoria in district Udham Singh Nagar	At km. 222.270 (existing km. 222.120) on NH-74 near Village Deoria in district Udham Singh Nagar

[F. No. NHAI/ 13-14/ CO/ GC (Kashipur-Sitarganj)]

LEENA NANDAN, Jt. Secy.